

**अनुदान संख्या 2 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग**  
**GRANT No. 2-DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	3314,77,00	3334,76,00	3324,67,01	-10, 08,99
पूरक	Supplementary	19,99,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान में, कुल बचतें (1008.99 लाख रु.) दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1999.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 50 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.1008.99 lakhs) constituted 50 percent of the supplementary grants of Rs.1999.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and half percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"				
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	313503.00	333152.00	332160.17	-991.83
पू.	S.	1998.00			
पु.	R.	17651.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	17600.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-17601.00			

(I) 17606.00 लाख रु. का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 17601.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 400.00 लाख रु.;

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 200.00 लाख रु.;

(ग) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 2500.25 लाख रु. (0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 2500.50 लाख रु. (0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ङ) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें - कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 500.00 लाख रु.;

(च) "कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 100.25 लाख रु. (0.25 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(खा) "मृदा एवं जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1200.00 लाख रु.;

(गा) "पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1200.00 लाख रु.; और

(I) Provision of Rs.17606.00 lakhs remained wholly unutilized under ten heads; of these Rs.17601.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R."-

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.400.00 lakhs;

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.200.00 lakhs;

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.2500.25 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh);

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.2500.50 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh);

(e) "Externally Aided Projects/Schemes - Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.500.00 lakhs;

(f) "Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes" - Rs.100.25 lakhs (including token supplementary grant of Rs.0.25 lakh);

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Other Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes" - Rs.1200.00 lakhs;

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - Rs.1200.00 lakhs; and

(घा) “सामान्य - कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” - 9000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2415” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “फसल कृषि-कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता” -

(क) “कृषि, बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रबंधन में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन” - 1200.00 लाख रु. की बचत (36755.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(ख) कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अधीन उपकर की निवल आय की अदायगी” - 510.04 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सितम्बर, 2008 से कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम 1940 निरस्त किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य कार्यक्रम” - 1629.07 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं/ उप परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 67.16 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

(D) “General - Agricultural Research and Education Schemes - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” – Rs.9000.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head “2415” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Crop Husbandry-Assistance to I.C.A.R.”–

(a) “I.C.A.R. Headquarter Administration including Agricultural Scientists Recruitment Board and Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management” – saving of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36755.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(b) “Payment of Net Proceeds of Cess under Agricultural Produce Cess Act, 1940” – saving of Rs.510.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to repealing of the A.P. Cess Act, 1940 since September, 2008.

(B) “General - International Co-operation – Other Programmes” – saving of Rs.1629.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to non-finalisation of various projects/sub-projects under the scheme.

(III) Under one head saving of Rs.67.16 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8943.25 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 3.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1420.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1419.25 लाख रु. था।

(ख) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 4600.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4599.50 लाख रु. था।

(ग) "बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें" - 2523.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2522.75 लाख रु. था।

(खा) "मत्स्य पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - मत्स्य पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 399.50 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2415" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "फसल कृषि कर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" -

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1996.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 67226.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" - 1295.00 लाख रु. का अधिक व्यय (43017.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

2.(I) The above savings were partly (Rs.8943.25 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.3.00 lakhs under Major Head "2415" – under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R." –

(a) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" – Rs.1420.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1419.25 lakhs.

(b) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" – Rs.4600.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4599.50 lakhs.

(c) "Externally Aided Projects/Schemes" – Rs.2523.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2522.75 lakhs.

(B) "Fisheries - Assistance to I.C.A.R. – Fisheries Institutes, Research and Education Schemes" – Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.399.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2415" – under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry – Assistance to I.C.A.R." –

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" – excess of Rs.400.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.67226.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1996.00 lakhs);

(b) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" – excess of Rs.1295.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.43017.00 lakhs);

(खा) “मृदा और जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - कृषि वानिकी संसाधन और शिक्षा स्कीमों सहित अन्य प्राकृतिक अनुसंधान प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 1200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (25174.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) “पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - डेरी अनुसंधान संस्थान और स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” - 1200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (32215.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घा) “सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता - केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान” - 7000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) “Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. –Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro - Forestry Research and Education Schemes” – excess of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25174.00 lakhs);

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. –Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” – excess of Rs.1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.32215.00 lakhs); and

(D) “General - Assistance to Other Institutions – Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” – excess of Rs.7000.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.